राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, महात्मा गांधी नरेगा) शासन सचिवालय, जयपुर

क्रमांकः– एफ 12 (1) ग्रावि/नरेगा/अ. अवकाश/2015 जयपुर , दिनांकः 29.04.2015

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस
एवं जिला कलक्टर,
समस्त राजस्थान,

विषयः– महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत संविदा कार्मिको द्वारा कार्य बहिष्कार कर हडताल पर चले जाने के क्रम में।

प्रसंगः– इस कार्यालय का पूर्व पत्रांक एफ 12(12) ग्रावि/नरेगा/ज्ञापन/10 पार्ट–1 दिनांक 28.04.2015

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत जिला परिषद/पंचायत समिति/ग्राम पंचायत स्तर पर संविदा कार्मिक अनुबन्ध पर कार्यरत है। यह जानकारी में आया है कि विभिन्न जिलों में योजना में कार्यरत संविदा कार्मिक अपनी मांगों के समर्थन में कार्य का बहिष्कार कर हडताल पर चले गये है। राजस्थान महात्मा गांधी नरेगा संविदा कार्मिक संघ के पदाधिकारियों के साथ उनके द्वारा प्रस्तुत मांग पत्र पर विस्तार से चर्चा की गई। विभाग द्वारा उनके मांग पत्र पर सम्पूर्ण स्थिति स्पष्ट करने के बाद भी उन्होने अभी तक हडताल समाप्त नहीं की है। महात्मा गांधी नरेगा योजना भारत सरकार द्वारा एक अधिनियम के माध्यम से लागू की गई है। अतः इसमें कई प्रावधान आदेशात्मक है, जिन्हे निशिचित अवधि में लागू किया जाना आवश्यक है। अतः संविदा कार्मिकों की हडताल को ध्यान में रखते हुए योजना को समुचित रूप से लागू करने के लिए निम्नानुसार निर्देश दिये जाते है।

1. संविदा पर नियोजित कार्मिक द्वारा अनुबन्ध में वर्णित शर्तो के अनुसार सेवायें नहीं देने पर बिन्दू संख्या 6 (1) में प्रावधान है कि संविदा पर नियोजित कार्मिक के किसी भी प्रकार के अनुचित आचरण (Misconduct) के आधार पर कार्मिक का अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है । इसी प्रकार कार्य से स्वयं की इच्छा अथवा अप्राधिकृत रूप से 7 दिवस अनुपस्थित रहने पर अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है। इनकी अनुपस्थिति दर्ज करने के निर्देश आपको प्रासंगिक पत्र से जारी किये जा चुके है। अतः इस संदर्भ में ऐसे संविदा कार्मिकों को 3 दिवस में ड्यूटी पर आने का नोटिस दिया जावे। 3 दिवस बाद ड्यूटी पर रिपोर्ट नहीं करने पर उनके विरूद्ध अनुबन्ध के बिन्दू संख्या 6 के तहत कार्यवाही अमल में लायी जावे।
2. यदि किसी ग्राम पंचायत पर एक से अधिक कनिष्ठ लिपिक कार्यरत है तो उनको अन्य निकटस्थ ऐसी ग्राम पंचायत जहां पर कनिष्ठ लिपिक कार्यरत नहीं है वहां पर लगाया जाकर ग्राम रोजगार सहायक का कार्य करवाया जावे एवं इन कनिष्ठ लिपिको से आवश्यकतानुसार ब्लॉक लेवल पर एमआईएस/डेटा फीडिंग का कार्य भी करवाया जावे।
3. संविदा कार्मिको के हडताल पर चले जाने के कारण महात्मा गांधी नरेगा योजना के क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न नहीं हो इसके लिए जिन ग्राम पंचायतों में बिन्दु संख्या दो में वर्णित कार्यवाही करने के उपरान्त भी कनिष्ठ लिपिक कार्यरत नहीं हो वहां पर ग्राम रोजगार सहायकों का समस्त कार्य ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत के द्वारा सम्पादित करवाया जावे।

4. यदि कनिष्ठ तकनीकी सहायक भी हडताल पर है तो योजना के अन्तर्गत माप करने, माप पुस्तिका में इन्द्राज करने एवं मूल्यांकन सम्बन्धी समस्त कार्य पंचायत समिति में पद स्थापित कनिष्ठ अभियन्ता/सहायक अभियन्ताओं के माध्यम से करवाया जावे। हडताल अवधि में योजना के क्रियान्वयन में व्यवधान न हो इसके लिये आवश्यकता होने पर अन्य लाईन विभागों के कनिष्ठ अभियन्ता/सहायक अभियन्ताओं की सेवायें भी ली जा सकती है। इसके लिये महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम की धारा 14(5) में डीपीसी,ईजीएस को विशेष रूप से सशक्त किया गया है।
5. लेखा सहायको के द्वारा भी कार्य के बहिष्कार स्थिति में लेखा सम्बन्धी कार्य पंचायत समिति में नियमित रूप से पद स्थापित कनिष्ठ लेखाकार/लेखाकार/सहायक लेखाधिकारी के माध्यम से करवाया जावे।
6. प्लेसमेंट ऐजेन्सी से कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन यदि हडताल पर है तो इनके स्थान पर सेवा ऐजेन्सी से अन्य कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन की सेवायें आवश्यकता अनुसार ली जावे। प्लेसमेंट ऐजेन्सी के द्वारा व्यवस्था नहीं करने पर उनके विरूद्ध निविदा शर्तों के तहत कार्यवाही की जावे। तथा डाटा ऐन्ट्री ऑपरेटर (संविदा) का कार्य कनिष्ठ लिपिक से सम्पादित करवाया जावे।
7. आवश्यकता पडने पर महात्मा गांधी नरेगा योजना से एमआईएस/डेटा फीडिंग का कार्य बाहय स्त्रोतों (Out Sources) पूर्व निर्देशों के तहत सम्पन्न करवाया जावे।
8. यदि जिले/पंचायत समिति/ग्राम पंचायत पर कार्यरत डाटा ऐन्ट्री ऑपरेटर (संविदा)/कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन ने हडताल पर जाने से पूर्व पासवर्ड बदल दिया हो तो उसके विरूद्ध नियमानुसार सम्बन्धित पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज करवायी जावे।
9. यह सुनिश्चित किया जावे कि संविदा कार्मिकों के हडताल पर चले जाने के कारण योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो। एवं महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम के प्रावधानों की पालना अनिवार्य रूप से की जावे।

उपरोक्त दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे

भवदीय

29.4.15

(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव, ग्रामीण विकास

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव, मा0 सचिव, मुख्यमंत्री महोदया
2. विशिष्ठ सहायक, मा0 मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
4. निजी सचिव, [redacted] शासन सचिव, ग्रामीण विकास
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज
6. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस
7. अति0 जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
8. विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी पंचायत समिति समस्त

29/4/15

अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम), ईजीएस